



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23102021-230686
CG-DL-E-23102021-230686

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4042]
No. 4042]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 22, 2021/आश्विन 30, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 22, 2021/ASVINA 30, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4393(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1805(अ) तारीख 20.05.2019 तथा 2390(अ) तारीख 13.05.2021 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 24.05.2019 तथा 17.06.2021 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा असम राज्य में गुवाहाटी - नुमालीगढ़ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के मध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह निर्देश देती है कि पाइपलाइनें बिछाने के लिए भूमि में उपयोग के अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाय, पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव करने वाली मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विलंगमों से मुक्त, मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

जिला : लखीमपुर			राज्य : असम			
सर्कल	मौज़ा	गाँव	सर्वे नं / ब्लॉक नं	क्षेत्रफल		
				हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
नारायणपुर	नारायणपुर	बदुला हाटि गाँव	1	00	01	12
			2	00	01	62
			3	00	20	21
			4	00	01	50
			5	00	02	77
			6	00	06	15
			7	00	05	18
			9	00	18	90
			86	00	00	94
			10	00	12	02
			11	00	12	35
			12	00	15	16

[फा. सं. एल-14014/103/2021-जीपी-II (ई-39717)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2021

S.O. 4393(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No.1805(E) dated 20.05.2019 and 2390(E) dated the 13.05.2021, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India dated the 24.05.2019 & 17.06.2021 respectively, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of Natural Gas through Guwahati – Numaligarh Gas Pipeline in the state of Assam by Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public.

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disposed by the Competent Authority.

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted its report to the Government of India.

And whereas the Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Government of India hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL), free from all encumbrances.

SCHEDULE

District : Lakhimpur				State: Assam		
Circle	Mouza	Name of Village	Dag No.	Area		
				Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Narayanpur	Narayanpur	Budula Hati Gaon	1	00	01	12
			2	00	01	62
			3	00	20	21
			4	00	01	50
			5	00	02	77
			6	00	06	15
			7	00	05	18
			9	00	18	90
			86	00	00	94
			10	00	12	02
			11	00	12	35
			12	00	15	16

[F. No. L-14014/103/2021-GP-II (E-39717)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4394(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1573(अ) तारीख 04.04.2019, 2391(अ) तारीख 13.05.2021 तथा 2385(अ) तारीख 13.05.2021 जो

भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 11.04.2019, 17.06.2021 तथा 17.06.2021 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा असम राज्य में गुवाहाटी – नुमालीगढ़ प्रकृतिक गैस पाइपलाइन के मध्यायम से प्रकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह निर्देश देती है कि पाइपलाइनें बिछाने के लिए भूमि में उपयोग के अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाय, पाइपलाइनें बिछाने का प्रस्ताव करने वाली मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विलंगमों से मुक्त, मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

जिला : मजुली			राज्य : असम			
सर्कल	मौज़ा	गाँव	दाग नं.	क्षेत्रफल		
				हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मजुली	कमलाबारी	पकाजरा मिरि पथार	214	00	08	80
			86	00	01	41
			41	00	01	60
			215	00	01	83
			2	00	07	19
			30	00	02	72
			7	00	03	88
			31	00	10	44
			33	00	07	04
			32	00	07	87
			34	00	16	66
			150	02	31	04
			44	00	15	83
			45	00	03	08

			46	00	13	46
			47	00	00	23
			131	00	17	79
			132	00	18	28
			134	00	15	35
			137	00	31	67
			145	00	19	98
			141	00	07	73
			203	00	41	24
उजनी मजुली	शालमारा	चामगुरि सत्र	314	00	00	71
			315	00	02	89
			316	00	05	51
			317	00	10	55
			320	00	23	59
			436	00	01	56
			444	00	18	19
			442	00	02	71
			443	00	08	71
			451	00	10	92
			452	00	07	51
			450	00	13	80
			548	00	07	04
			569	00	01	34
			546	00	05	61
			545	00	01	61
			547	00	00	43
			565	00	14	78
उजनी मजुली	शालमारा	करहाल गाँव	2	00	05	27
			609	00	11	99
			610	00	11	78
			223	00	02	13
			611	00	00	35
			222	00	08	98
			221	00	02	46

			281	00	38	02
			630	00	17	15
			278	00	09	24
			279	00	09	60
			322	00	25	48
			324	00	04	90
			325	00	04	74
			328	00	09	62
			330	00	00	20
			547	00	04	39
			277	00	04	33
			550	00	02	64
			546	00	07	97
			545	00	03	57
			543	00	08	73
			538	00	01	02
			541	00	06	92
			628	00	00	93
उजनी मजुली	शालमारा	गरोईमारि दलनि	627	00	01	91
			75	00	00	20
			3	00	13	84
			13	00	07	57
			12	00	09	87
			104	00	01	67
			61	00	00	94
			62	00	06	09
			60	00	04	58
			113	00	02	70
			133	00	03	93
			134	00	05	53
			132	00	01	34
			131	00	00	20
			129	00	01	66
			130	00	04	82

			136	00	04	08
			128	00	02	29
			137	00	02	33
			127	00	03	91
			149	00	00	73
			148	00	00	31
			147	00	00	20
			126	00	12	32
			150	00	05	23
			151	00	25	39
			152	00	02	35
			303	00	03	30
			633	00	02	50
			299	00	17	37
उजनी मजुली	शालमारा	दक्खिनपात सत्र	939	00	38	13
			948	00	04	56
			953	00	23	21
			943	00	05	39
			944	00	14	69
			945	00	07	03
			946	00	02	35
			968	00	03	25
			978	00	00	55
			976	00	15	94
			977	00	20	86
			1003	00	04	80
			1004	00	02	49
			933	00	01	17
			1009	00	03	01
			935	00	19	14
		नदी		04	04	70

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2021

S.O. 4394(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No.1573(E) dated 04.04.2019, S.O. No. 2391(E) dated 13.05.2021 and S.O. No. 2385(E) dated the 13.05.2021, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India dated the 11.04.2019, 17.06.2021 and 17.06.2021 respectively, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of Natural Gas through Guwahati-Numaligarh Gas Pipeline in the state of Assam by Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public.

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disposed by the Competent Authority.

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted its report to the Government of India.

And whereas the Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Government of India hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL), free from all encumbrances.

SCHEDULE

District : Majuli			State: Assam			
Circle	Mouza	Name of Village	Dag No.	Area		
				Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Majuli	Kamlabari	Pakajara Miri Pathar	214	00	08	80
			86	00	01	41
			41	00	01	60
			215	00	01	83
			2	00	07	19
			30	00	02	72
			7	00	03	88
			31	00	10	44
			33	00	07	04
			32	00	07	87
			34	00	16	66
			150	02	31	04
			44	00	15	83

			45	00	03	08
			46	00	13	46
			47	00	00	23
			131	00	17	79
			132	00	18	28
			134	00	15	35
			137	00	31	67
			145	00	19	98
			141	00	07	73
			203	00	41	24
Ujani Majuli	Salmara	Chamguri Satra	314	00	00	71
			315	00	02	89
			316	00	05	51
			317	00	10	55
			320	00	23	59
			436	00	01	56
			444	00	18	19
			442	00	02	71
			443	00	08	71
			451	00	10	92
			452	00	07	51
			450	00	13	80
			548	00	07	04
			569	00	01	34
			546	00	05	61
			545	00	01	61
			547	00	00	43
			565	00	14	78
Ujani Majuli	Salmara	Karhal Gaon	2	00	05	27
			609	00	11	99
			610	00	11	78
			223	00	02	13
			611	00	00	35
			222	00	08	98
			221	00	02	46
			281	00	38	02
			630	00	17	15
			278	00	09	24
			279	00	09	60
			322	00	25	48
			324	00	04	90
			325	00	04	74
			328	00	09	62

			330	00	00	20
			547	00	04	39
			277	00	04	33
			550	00	02	64
			546	00	07	97
			545	00	03	57
			543	00	08	73
			538	00	01	02
			541	00	06	92
			628	00	00	93
Ujani Majuli	Salmara	Garoimari Dalani	627	00	01	91
			75	00	00	20
			3	00	13	84
			13	00	07	57
			12	00	09	87
			104	00	01	67
			61	00	00	94
			62	00	06	09
			60	00	04	58
			113	00	02	70
			133	00	03	93
			134	00	05	53
			132	00	01	34
			131	00	00	20
			129	00	01	66
			130	00	04	82
			136	00	04	08
			128	00	02	29
			137	00	02	33
			127	00	03	91
			149	00	00	73
			148	00	00	31
			147	00	00	20
			126	00	12	32
			150	00	05	23
			151	00	25	39
			152	00	02	35
			303	00	03	30
			633	00	02	50
			299	00	17	37
Ujani Majuli	Salmara	Dakhinpat Satra	939	00	38	13
			948	00	04	56
			953	00	23	21

943	00	05	39
944	00	14	69
945	00	07	03
946	00	02	35
968	00	03	25
978	00	00	55
976	00	15	94
977	00	20	86
1003	00	04	80
1004	00	02	49
933	00	01	17
1009	00	03	01
935	00	19	14
River	04	04	70

[F. No. L-14014/103/2021-GP-II (E-39717)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4395(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1458(अ) तारीख 22.03.2019, 2392(अ) तारीख 13.05.2021 तथा 3132(अ) तारीख 02.08.2021 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 28.03.2019, 17.06.2021 तथा 04.08.2021 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा असम राज्य में गुवाहाटी – नुमालीगढ़ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के मध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह निर्देश देती है कि पाइपलाइनें बिछाने के लिए भूमि में उपयोग के अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाय, पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव करने वाली मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विलंगमों से मुक्त, मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

जिला : जोरहाट			राज्य : असम			
सर्कल	मौज़ा	गाँव	दाग नं.	क्षेत्रफल		
				हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
जोरहाट पश्चिम	बाली गाँव	2 नं पहुमरा गाँव	107	00	20	09
			106	00	16	95
			104	00	15	74
			102	00	11	28
			101	00	14	87
			100	00	09	34
			जोरहाट पश्चिम	बाली गाँव	निज बाली गाँव	855
176	00	01				75
173	00	03				89
177	00	06				35
183	00	01				54
184	00	01				93
185	00	02				12
181	00	03				94
186	00	25				54
187	00	09				16
188	00	08				07
840	00	02				75
251	00	16				54
252	00	00				20
249	00	12				43
192	00	01				26
250	00	20				68
899	00	15				69
195	00	13				98
900	00	12				71
201	00	13				44
199	00	00	82			
902	00	02	04			
200	00	03	29			
202	00	03	71			
203	00	03	29			

			204	00	02	94
			209	00	13	96
			210	00	10	21
			211	00	15	29
			213	00	06	81
			224	00	12	08
			223	00	03	72
			876	00	02	40
			222	00	02	60
			560	00	03	83
			869	00	04	37
			216	00	01	35
			217	00	02	97
			218	00	07	99
			221	00	00	91
जोरहाट पश्चिम	हेजारी	पतिया गाँव	573	00	22	19
			574	00	09	87
			575	00	07	13
			36	00	00	32
			576	00	01	00
			1216	00	10	54
			37	00	05	17
			38	00	01	16
			35	00	08	63
			34	00	06	79
			33	00	05	00
			32	00	05	11
			31	00	06	96
			30	00	04	57
			29	00	07	88
			28	00	27	18
			43	00	00	32
			44	00	05	89
			46	00	25	16
			27	00	00	42
			47	00	20	35
			72	00	00	77

71	00	14	12
70	00	02	30
25	00	02	21
18	00	02	31
48	00	10	51
67	00	19	20
68	00	01	56
66	00	09	75
1751	00	01	65
51	00	06	83
7	00	07	30
6	00	13	58
53	00	06	64
5	00	36	36
54	00	00	20
55	00	20	19
4	00	04	36
3	00	12	43
2	00	07	90
1	00	01	30

[फा. सं. एल-14014/103/2021-जीपी-II (ई-39717)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2021

S.O. 4395(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 1458(E) dated 22.03.2019, S.O. No. 2392(E) dated 13.05.2021 and S.O. No. 3132(E) dated the 02.08.2021 and issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India dated the 28.03.2019, 17.06.2021 and 04.08.2021 respectively, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of Natural Gas through Guwahati-Numaligarh Gas Pipeline in the state of Assam by Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public.

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disposed by the Competent Authority.

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted its report to the Government of India.

And whereas the Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Government of India hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL), free from all encumbrances.

SCHEDULE

District : Jorhat			State: Assam			
Circle	Mouza	Name of Village	Dag No.	Area		
				Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jorhat West	Bali Gaon	2 No. Pahumara Gaon	107	00	20	09
			106	00	16	95
			104	00	15	74
			102	00	11	28
			101	00	14	87
			100	00	09	34
Jorhat West	Bali Gaon	Nij Bali Gaon	855	00	00	85
			176	00	01	75
			173	00	03	89
			177	00	06	35
			183	00	01	54
			184	00	01	93
			185	00	02	12
			181	00	03	94
			186	00	25	54
			187	00	09	16
			188	00	08	07
			840	00	02	75
			251	00	16	54
			252	00	00	20
			249	00	12	43
			192	00	01	26
			250	00	20	68
			899	00	15	69
			195	00	13	98
			900	00	12	71
			201	00	13	44
			199	00	00	82
902	00	02	04			
200	00	03	29			
202	00	03	71			
203	00	03	29			
204	00	02	94			
209	00	13	96			
210	00	10	21			
211	00	15	29			
213	00	06	81			
224	00	12	08			

			223	00	03	72
			876	00	02	40
			222	00	02	60
			560	00	03	83
			869	00	04	37
			216	00	01	35
			217	00	02	97
			218	00	07	99
			221	00	00	91
Jorhat West	Hejari	Patiya Gaon	573	00	22	19
			574	00	09	87
			575	00	07	13
			36	00	00	32
			576	00	01	00
			1216	00	10	54
			37	00	05	17
			38	00	01	16
			35	00	08	63
			34	00	06	79
			33	00	05	00
			32	00	05	11
			31	00	06	96
			30	00	04	57
			29	00	07	88
			28	00	27	18
			43	00	00	32
			44	00	05	89
			46	00	25	16
			27	00	00	42
			47	00	20	35
			72	00	00	77
			71	00	14	12
			70	00	02	30
			25	00	02	21
			18	00	02	31
			48	00	10	51
			67	00	19	20
			68	00	01	56
			66	00	09	75
			1751	00	01	65
			51	00	06	83
			7	00	07	30
			6	00	13	58
			53	00	06	64
			5	00	36	36
			54	00	00	20
			55	00	20	19
			4	00	04	36
			3	00	12	43
			2	00	07	90
			1	00	01	30

[F. No. L-14014/103/2021-GP-II (E-39717)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4396(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1572(अ) तारीख 04.04.2019 तथा 2393(अ) तारीख 13.05.2021 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 11.04.2019 तथा 17.06.2021 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा असम राज्य में गुवाहाटी – नुमालीगढ़ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के मध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थीं;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह निर्देश देती है कि पाइपलाइनें बिछाने के लिए भूमि में उपयोग के अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाय, पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव करने वाली मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विलंगमों से मुक्त, मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

जिला : गोलाघाट			राज्य : असम			
सर्कल	मौज़ा	गाँव	दाग नं	क्षेत्रफल		
				हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डेरगाँव	मिसामारा	बगरियानी पाम	348	00	00	85
			352	00	07	88
			353	00	04	86
			356	00	03	15
			354	00	07	58
			355	00	08	15
			488	00	35	08
			482	00	05	89

			495	00	04	42
			481	00	00	20
			496	00	09	94
			468	00	08	11
			469	00	23	34
			462	00	03	91
			461	00	10	95
			460	00	01	08
			464	00	00	42
			455	00	11	34
			456	00	05	94
			454	00	07	56
			452	00	04	47
			451	00	03	09
			438	00	11	50
			437	00	01	58
			436	00	08	72
			435	00	02	46
			420	00	06	03
			419	00	04	44
खुमताई	खुमताई	ठेंगाल कछारि गाँव	402	00	13	04
			1404	00	03	29
			1360	00	22	67
			401	00	15	32
			606	00	04	07
			605	00	12	04
			597	00	12	76
			614	00	06	46
			596	00	08	00
			615	00	09	87
			622	00	28	11
			623	00	05	70
			749	00	11	10
			760	00	18	20
			762	00	06	79
			944	00	11	03
			918	00	10	26

916	00	00	49
941	00	00	20
942	00	12	66
940	00	13	35
1034	00	36	47
1033	00	23	69
1031	00	01	08
630	00	01	35
1099	00	10	17
1100	00	03	16
1119	00	10	17
1121	00	03	21
1122	00	00	60
1124	00	01	74
1123	00	04	67
1134	00	01	51
1143	00	12	81
1144	00	02	04
1148	00	09	77
1252	00	08	14
1251	00	07	23
1250	00	02	10
1319	00	03	14
1065	00	01	20

[फा. सं. एल-14014/103/2021-जीपी-II (ई-39717)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2021

S.O. 4396(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No.1572(E) dated the 04.04.2019 and 2393(E) dated the 13.05.2021, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India dated the 11.04.2019 and 17.06.2021 respectively, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of Natural Gas through Guwahati-Numaligarh Gas Pipeline in the state of Assam by Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public.

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disposed by the Competent Authority.

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted its report to the Government of India.

And whereas the Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Government of India hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL), free from all encumbrances.

SCHEDULE

District : Golaghat				State: Assam		
Circle	Mouza	Name of Village	Dag No.	Area		
				Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Dergaon	Missamora	Bagariyani Pam	348	00	00	85
			352	00	07	88
			353	00	04	86
			356	00	03	15
			354	00	07	58
			355	00	08	15
			488	00	35	08
			482	00	05	89
			495	00	04	42
			481	00	00	20
			496	00	09	94
			468	00	08	11
			469	00	23	34
			462	00	03	91
			461	00	10	95
			460	00	01	08
			464	00	00	42
			455	00	11	34
			456	00	05	94
			454	00	07	56
452	00	04	47			
451	00	03	09			
438	00	11	50			
437	00	01	58			
436	00	08	72			
435	00	02	46			
420	00	06	03			
419	00	04	44			
Khumtai	Khumtai	Thengal Kachari Gaon	402	00	13	04
			1404	00	03	29
			1360	00	22	67
			401	00	15	32
			606	00	04	07
			605	00	12	04

597	00	12	76
614	00	06	46
596	00	08	00
615	00	09	87
622	00	28	11
623	00	05	70
749	00	11	10
760	00	18	20
762	00	06	79
944	00	11	03
918	00	10	26
916	00	00	49
941	00	00	20
942	00	12	66
940	00	13	35
1034	00	36	47
1033	00	23	69
1031	00	01	08
630	00	01	35
1099	00	10	17
1100	00	03	16
1119	00	10	17
1121	00	03	21
1122	00	00	60
1124	00	01	74
1123	00	04	67
1134	00	01	51
1143	00	12	81
1144	00	02	04
1148	00	09	77
1252	00	08	14
1251	00	07	23
1250	00	02	10
1319	00	03	14
1065	00	01	20

[F. No. L-14014/103/2021-GP-II (E-39717)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.